

२/८

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
बृहस्पतिवार, 20 मार्च, 2014 / 7 चैत्र 1935 (शक)

संख्या:-12

विषय:- कार पार्किंग लेबल जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 20 मई, 2014 तक या जिस भी तारीख तक आचार संहिता लागू है, वाहन पार्किंग पास जारी करने के संबंध में निम्नलिखित नीति अपनाई जाएगी:-

1. निजी वाहनों हेतु पार्किंग पास जारी करने के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल उन आवेदकों को पार्किंग पास जारी किए जाएंगे जिन्हें पहले से ही दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक वैध पास जारी किए जा चुके हैं और वो भी वर्तमान माननीय विधायकों/अध्यक्ष महोदय की सिफारिश पर, वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा पुराना पार्किंग लेबल प्रस्तुत करने के उपरांत ही जारी किए जाएंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि निजी वाहनों के लिए 03 पार्किंग लेबलों से अधिक की सिफारिश न करें।
2. वर्तमान माननीय सदस्यों को **MLA/P** उन वाहनों के लिए जारी किए जाएंगे जो उनके स्वयं के/निकट संबंधियों के नाम पर पंजीकृत हैं और माननीय विधायकों द्वारा यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह वाहन स्वयं उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ही पंजीकृत हो। माननीय अध्यक्ष महोदय के सिवाए अन्य सदस्यों को केवल 03 एम.एल.ए. पास जारी किए जाएंगे। इस नियम में छूट केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा अपवाद स्वरूप ही दी जा सकती है।
3. सरकारी वाहनों के लिए पार्किंग पास उनके संबंधित विभाग की सिफारिश पर ही जारी किए जाएंगे।
4. जो वाहन दिल्ली में पंजीकृत नहीं होंगे उनके लिए एम.एल.ए. पास या पार्किंग पास माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। माननीय सदस्य कृपया आपराधिक मामलों में लिप्त व्यक्तियों के लिए गाड़ियों के पार्किंग लेबल की सिफारिश न करें।

पी.एन. मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Thursday 20th March, 2014/ 7 Chaitra, 1935 (Saka)

No.: 12

Sub: Guidelines for issue of Vehicle Passes.

Hon'ble Members are informed that the code of conduct is in operation upto 20th May, 2014 or so, and during this period, the following policy for issue of vehicle passes will be followed:-

1. No fresh applications for issue of Parking pass for private vehicles will be entertained. Only those applicants who already have the parking passes valid upto 31-12-2013 will be allowed Parking passes on the recommendation of sitting MLAs/Hon'ble Speaker and on production of the copy of registration certificate of the vehicle and old Parking level valid upto 31-12-2013. Hon'ble sitting MLAs are requested to limit their recommendation to only three private persons.
2. MLA passes will be issued to Hon'ble sitting MLAs for their vehicles i.e. vehicles in their own name/close relatives name or on production of a certificate by Hon'ble sitting MLA that he/she is using that vehicle even though registered in another person's name. A ceiling of 3 MLA passes is prescribed in r/o each member except Hon'ble Speaker. This ceiling can be relaxed only by Hon'ble Speaker in exceptional cases.
3. Parking passes shall be issued to the Govt. vehicles on the request of the concerned department who owns that vehicle.
4. The vehicles not registered in Delhi but registered outside Delhi shall not be granted MLA pass or Parking pass except with the approval of Hon'ble Speaker in genuine cases.

P.N. MISHRA
Secretary